भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2242

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

एफसीआई भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण

2242. श्री अ.मनि:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश में आज की तिथि के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की कुल भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा और समय-सीमा क्या है;

(घ) कया भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त भंडारण क्षमता है; और

(ड.) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद के बाद गेहूं और चावल का भंडारण करता है। दिनांक 01.02.2025 तक के अनुसार, केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए पूरे देश (तमिलनाडु सहित) में एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल कवर की गई भंडारण क्षमता 806.94 लाख टन है।

(ख) और (ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) डिपो स्तर पर खाद्यान्न की लेनदेन की वास्तविक समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से ही डिपो ऑनलाइन प्रणाली (डीओएस) का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा, भंडारण बुनियादी ढांचे की रेटिंग और ग्रेडिंग के माध्यम से आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए स्व-मूल्यांकन पोर्टल (डिपो दर्पण) भी विकसित किया गया है।

...2/-

(घ) और (ड.): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में भंडारण क्षमता की आवश्यकता, खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और खाद्यान्न (चावल और गेहूं) के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन और निगरानी करता है तथा आवश्यकता और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं बनाई/किराए पर ली जाती हैं:

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
3. केंद्रीय क्षेत्र योजना भंडारण और गोदाम
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस)
6. संपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण

******